...किस्म..... .....उनवान.....

लय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी

फर्द अहकाम

[illegible] ...

26/5/22 - पत्रावली पेश हुई। वकील साम उपस्थित नहीं। पुनर्जुमार पत्रावली वास्ते जवाब दफा 151 ओ.आर.10 सी.पी.सी. व धारा 39 आर-7 सहित दि. 2.6.22 को पेश हो।

2/6/22 पत्रावली पेश हुई। वकील साम उपस्थित नहीं। पुनर्जुमार पत्रावली वास्ते जवाब दफा 151 ओ.आर.10 सी.पी.सी. व धारा 39 आर-7 सहित दि. 17.6.22 को पेश हो।

17/6/22 - पत्रावली पेश हुई। वकील साम उपस्थित नहीं। पुनर्जुमार पत्रावली वास्ते जवाब दफा 151 ओ.आर.10 सी.पी.सी. व धारा 39 आर-7 सहित दि. 31.5.22 को पेश हो।

31/5/22 - पत्रावली पेश हुई। वकील साम उपस्थित नहीं। पुनर्जुमार पत्रावली वास्ते जवाब ओ.आर-10 सी.पी.सी. व धारा 39 आर-7 सहित दि. 14.6.22 को पेश हो।

14/6/22 पत्रावली पेश हुई। वकील साम उपस्थित नहीं। पुनर्जुमार पत्रावली वास्ते जवाब ओ.आर-10 सी.पी.सी. व धारा 39 आर-7 सहित दि. 4.8.22 को पेश हो।

7/22 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि आवेदक गण द्वारा अस्थाई व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु यह वाद प्रस्तुत किया गया है। अस्थाई निषेधाज्ञा के संबंध में आवेदक गण द्वारा दिनांक 26.5.22 को पेश किये गये आवेदन पत्र पर दिनांक 31.5.22 को पारित आदेश के अनुपालन में दिनांक 2.6.22 को पेश किये गये आवेदन पत्र पर दिनांक 14.6.22 को पारित आदेश के अनुपालन में आवेदक गण द्वारा दिनांक 17.6.22 को पेश किये गये आवेदन पत्र पर दिनांक 4.8.22 को पारित आदेश के अनुपालन में आवेदक गण द्वारा दिनांक 7.8.22 को पेश किये गये आवेदन पत्र पर दिनांक 7